

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

67

पत्रांक : 87/5030-भवन/फोन-1/2012-13 दिनांक 11/02/2013


### विनियमितीकरण

कह विनियमितीकरण 2012 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अंतर्गत किया जा रहा है, किन्तु अर्थ में न राजना चाहते कि एसा भूमे के समक में किया कर विनियमितीकरण भवन मानचित्र सर्वेक्षण किया जा रहा है, इस से किसी प्रकार का किसी स्थानीय निकाय या इराका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के नालिकाता अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के विनियमन या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रहेगी।


श्री मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र श्री नारसमय अग्रवाल एवं श्री पटन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मुरारी लाल अग्रवाल स्थल बंगला नं-29 पुराना 77 गवा मोहल्ला एलिन रोड, जाल प्रहापुर शास्त्री मार्ग, इलाहाबाद जिला संख्या (1) के अंतर्गत दाखिल मानचित्र का विनियमितीकरण विनियमित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया जात है :-

1. 2012 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास अधिनियम 2008 में एन.बि. संख्या-2/08 एवं 3/18 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. नई स्वीकृति अर्जित (Provisional) स्वीकृति के रूप में होने निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/NOC की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निर्मित किया जाते वाले पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं तत्पश्चात् अस्त स्वीकृति/खिलाये रूप किया जाय आवश्यक होगा।
3. स्थानीय निकायों में कोई बच होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति भवनोपयोग न्यायिक के निर्णय के अधीन होगी, स्थापित सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त करना जायेगा।
4. स्थल पर 2X2 फिट का एक जेड स्तंभ पर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 02 अक्षर पुराने लोहे की तथा पुराने को इका-नाद रखने का अधिकृत अधिकारण का होगा।
6. स्थल पर अधिनियम/अध्याय/स्वीकृत प्रस्तावित/विनियमितीकरण मानचित्र के अनुसार ही करना होगा।
7. नार्केम स्थल का उपयोग नार्केम प्रबंधन हेतु ही अनुमत्त होय।
8. मानचित्र में स्टिपल लाइने पर गोलो रंग में दर्शित अक्षमणीय भवन (इसके अन्तर्गत) के विनियमितीकरण मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर स्वतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इस संकेत में दिवे गये शपथ एवं दिनांक 26.02.2013 को अक्षर-अनुमत्त करना अनिवार्य होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा कोई अस्तपूर्ण सूचना प्रियायी गयी है अथवा गतत सूचना दी गयी है तो 2012 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यदि फ्लैण्डो का एग-विगलन अथवा मार्क एवं शैड इत्यादि का अधिकारण विकसकर्ता द्वारा किया जाता है तो इन्फिन्सिबल द्वारा नियन्त्रित 2010 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
11. भवन निर्माण से पहले वाली के शपथ की नदरें अथवा शपथ या नही के किसी भाग (एक भवन के अन्तर्गत पिछवाले अथवा परके आकार के कारण दूर नई जो) को जाने पहचाने तो गृहप्राप्ति रोड पर हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लेखित सूचना प्राप्त और शोध करा हो पहले ही उसे अपने कार्य से गतत करके नयेतु अथवा जिसरी वेकना प्राधिकरण का रजिष्टर हो जाय, हो कर देना।
12. गृह निर्माण के समय इच्छा हो स्थान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1958 (सुधितन इलेक्ट्रि सिटी अक्ट 1958) नियम 80 का अन्तगमन केस के तथा में न होना चाहिए यदि विद्युत प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो गृह ऐसे निर्माण को रोक अथवा उद्घाटन रोकना है।
13. आवेदक को नियमानुसार वेकनर प्राधिकरण को भवन की नयेतु तक तथा 2012 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत सूचना प्रदान करना अनिवार्य होगा तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने से पूर्व देना होगा तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने से पूर्व देना होगा तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने से पूर्व देना होगा।
14. यदि निर्माण में अस्तर प्लान का उल्लंघन होता पता गया तो निर्माणकर्ता को ही गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अस्तित्व में नही कर तथा अधिनियम को धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही अस्त की जायेगी।

(सुजाकर कर्मी)  
संयुक्त सचिव / 2030-भवन  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,  
इलाहाबाद



उद्योगी वर्ग में बंधक की शक्ति को बढ़ाकर  
 आसानी से मिलने वाली पूंजी का काम  
 करने के लिए ही यह योजना का उद्देश्य  
 बनाना ही है।



**SCHEDULES OF DOORS WINDOWS PART**


S.N.	TYPE	SYMBOL	QTY
1	DOOR	D	3.00 (1.0)
2	DOOR	D1	6.00 (2.0)
3	WINDOW	W	1.00 (1.0)
4	WINDOW	W1	1.00 (1.0)
5	WINDOW	W2	6.00 (2.0)
6	W.C.	Y	1.00 (1.0)

**AREA DETAILS**

S.N.	PARTICULAR	AREA IN SQ. MT.		
		B	TOTAL	
1	TOTAL AREA OF PLOT	233.00	15.00	248.00
2	ROAD WITHDRAWING AREA	24.28	0.00	24.28
3	NET PLOT AREA	198.66	15.00	213.66
4	APPROVED AREA ON STILT	88.50	0.00	88.50
5	COMPOUND AREA ON STILT	18.47	0.00	18.47
6	TOTAL COVERED AREA ON STILT	106.97	0.00	106.97
7	APPROVED AREA ON U.G.F.	86.50	0.00	86.50
8	COMPOUND AREA ON U.G.F.	10.33	0.00	10.33
9	TOTAL COVERED AREA ON U.G.F.	198.80	0.00	198.80
10	APPROVED AREA ON F.F.	18.50	0.00	18.50
11	COMPOUND AREA ON F.F.	10.30	0.00	10.30
12	TOTAL COVERED AREA ON F.F.	108.60	0.00	108.60
13	APPROVED AREA ON B.F.	88.50	0.00	88.50
14	COMPOUND AREA ON B.F.	24.47	0.00	24.47
15	TOTAL COVERED AREA ON B.F.	133.00	0.00	133.00
16	PERMISSIBLE LIMIT			
17	FRONT SET BACK	1.00	0.00	1.00
18	MINIITY AREA	13.22	0.00	13.22
19	APPROVED AREA ON BASEMENT	75.20	0.00	75.20
20	COMPOUND AREA ON BASEMENT	11.98	0.00	11.98
21	TOTAL COVERED AREA ON BASEMENT	75.20	0.00	75.20
22	PROVIDE CAR PARKING AREA			
23	REQUIRED CAR PARKING AT G.L.	8 @ 12.00 x 11.00 =	0.78	
24	REQUIRED CAR PARKING AT F.F.	8 @ 12.00 x 11.00 =	2.78	
25	REQUIRED CAR PARKING AT S.S.	8 @ 12.00 x 11.00 =	2.50	
26	REQUIRED CAR PARKING AREA (TOTAL)	8 @ 12.00 x 11.00 =	200.00	
27	OPEN AREA		88.50	
28	APPROVED P.A.R.		1.00	
29	TOTAL P.A.R.			



IT IS CERTIFIED THAT THE BUILDING PLAN HAS BEEN PREPARED ACCORDING TO THE BY-LAW NO. 120 OF 1960.



SCALE: 1/10

COMPOUND COMMERCIAL MAP OF SRI MURARI LAL AGARWAL, SRI PAVAN KR AGARWAL, ADDRESS - BHUKHAR SANKHYA 48 CIVL STATION, STRECH ROAD, DIST. ALLAHABAD

SIG OF OWNER: \_\_\_\_\_ CHECKED BY: \_\_\_\_\_